"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/तक. 114-009/2003/20-1-03."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 316] रायपुर, गुरुवार, दिनांक 28 दिसम्बर 2006—पौष 7, शक 1928

विधि और विधायी कार्य विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 27 दिसम्बर 2006

अधिसूचना

क्रमांक 14385/डी-3334/21-ब/छ. ग./06.—न्यायालय फीस अधिनियम, 1870 (क्र. 7 सन् 1870) की धारा 35 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद्द्वारा इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ क्र. 9-1-86-ख-इक्कीस, दिनांक 10 अप्रैल, 1987 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त अधिसूचना में :—

1. उक्त अधिसूचना की कण्डिका (3) में शब्द "माध्यम" के पश्चात् शब्द "या सिविल प्रक्रिया संहिता (अधिनियम क्र. 5 सन् 1908) की धारा-89 के अधीन उपबंधित कोई रीति" अन्त:स्थापित किया जाए.

Raipur, the 27th December 2006

NOTIFICATION

No. 14385/D-3334/XXI-B/C. G./06.—In exercise of the powers conferred by section 35 of the Court Fees Act, 1870 (No. 7 of 1870), the state Government hereby makes the following amendment in the department Notification No. F No. 9-1-86-B-XXI, dated 10th April, 1987, namely :—

AMENDMENT

In the said Notification :—

1. In clause (3) of the said notification after the words "Lok Adalat" the words "or any of the mode provided under section 89 of Civil Procedure Code (Act No. 5 of 1908)" shall be inserted.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. सामंतराय, अतिरिक्त सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2007.